न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय (अपर जिला न्यायाधीश)
सिकराय, जिला दौसा (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश – अनामिका सारण, UID - RJ00700
(आरजेएस–जिला न्यायाधीश संवर्ग)

पारिवारिक याचिका संख्या – 46/2025
सी.आई.एस. नं. – 46/2025
सी.एन.आर. नं. – आरजेडीएस 180002402025

सीताराम महावर आयु 26 वर्ष पुत्र रामजीलाल महावर निवासी उपरला कोली मोहल्ला बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा राजस्थान

–प्रार्थी/याची

बनाम

गोमा बाई आयु 25 वर्ष पुत्री किशनलाल पत्नी सीताराम महावर निवासी ग्राम लांकी पोस्ट देवती पंचायत समिति नाथलवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान

–अप्रार्थीया/अयाची

याचिका अन्तर्गत धारा 13(क) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
बाबत विवाह विच्छेद

उपस्थित –
1– श्री बलवीर सिंह राजावत, श्री वीरप्रताप सिंह, विद्वान न्यायमित्र, वास्ते प्रार्थी/याची।
2– अप्रार्थीया/अयाची के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांकः 06.01.2026.

निर्णय

दिनांक: 23.03.2026

1– प्रार्थी/याची सीताराम महावर की ओर से अप्रार्थीया/अयाची गोमा बाई के विरूद्ध याचिका अंतर्गत धारा 13(क) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 बाबत विवाह विच्छेद दिनांकः 11.06.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर दिनांकः 12.06.2025 को दर्ज रजिस्टर की गई है।

2– याचिका के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि याची सीताराम महावर का विवाह अयाची गोमाबाई के साथ दिनांकः 15.03.2021 को बिना किसी दान दहेज के सादगीपूर्ण तरीके से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अयाची के पैतृक निज निवास ग्राम लांकी में सम्पन्न हुआ। इस प्रकार याची व अयाची विवाहिता पति व पत्नी हैं। विवाह के बाद अयाची निवास उपरला कोली मौहल्ला बहरावण्डा मे रहने के लिये चली आई जिसके बाद शुरु शुरु में तो अयाचि याचिकाकर्ता व उसके परिवारजनो के साथ ठीक ठाक रही लेकिन धीरे धीरे अयाचि का व्यवहार याचिकाकर्ता व उसके परिवारजनो के प्रति कठोर व अग्रशिव हो गया जिसके बाद अयाचि बिना किसी कारण छोटी मोटी बातो को लेकर याचिकाकर्ता व उसके परिवारजनो के साथ लडाई झगडा कर व गंदी फोस गालिया निकाल कर घर का माहौल खराब करने लग गई यह तक कि धीरे धीरे अयाचि ने घर का घरेलू काम काज करना भी बंद कर दिया जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अयाचि को अनेको बार समझा बुझाकर मनाने का प्रयास किया लेकिन अयाचि हमेशा अपनी माता कमला देवी भाई नानगराम, महेन्द्र, तुलसीराम व बडी बहिन के बहकावे व सह मे आकर अपनी जमी जमाई गृहस्थी को बर्बाद करने पर आमादा रही इसके अलावा अयाचि हमेशा छोटी मोटी बातो को लेकर याचिकाकर्ता व उसके परिवारजनो को बिना बताये बार बार अपने पीहर ग्राम लांकी जानें लगी जिसे याचिकाकर्ता द्वारा समझाये जाने पर व ऐसा नही करने की कहने पर आवेश मे आकर याचि को छोडने व वैवाहिक सबंधो को समाप्त करने की बात कहने लगी। याचिकाकर्ता व उसके परिवारजनो द्वारा अयाचि को समझाने व याचिकाकर्ता व उसके परिवारजनो को यथोचित मान सम्मान दिये जाने की कहने पर अयाचि गुस्सा होकर उट पटांग बोलती व कहती है कि तुम लोग जितना कमाते हो मुझे लाकर दो मैं मेरे हिसाब से खर्च करूंगी व अपनी मर्जी से रहूंगी अगर तुम लोग नही माने तो मैं तुम लोगो को झूठे दहेज व के मुकदमों मे फसाकर जेल की चक्की पिसवाउंगी। अयाचि याचिकाकर्ता व उसके परिवारजनो को बिना बताये बार बार पीहर जाने से परेशान होकर याचिकाकर्ता द्वारा अनेको बार पंच पटेलो के जरिये समझाईस कर उसको मनाकर वापस लाया गया लेकिन उसके व्यवहार/बर्ताव मे कोई परिर्वतन नही आया यह तक कि अयाचि याचिकाकर्ता के साथ वैवाहिक सबंधो का निर्वहन करने से इंकार करने लगी साथ ही याचिकाकर्ता का परित्याग करने लगी साहर्चय व संभोग से इंकार

कर वैवाहिक अवधारणा को समाप्त करने के लिये तत्पर हो गई। दिनांक 04–09–2024 को अयाचि बिना किसी को बताये अपने भाई नानगराम को बुलाकर व अपना समस्त स्त्रीधन व याचिकाकर्ता की माँ के गहने जिनमे चांदी की पायजेब 150 ग्राम, चांदी की चिटकी, अंगुठी, सोने का मंगल सूत्र को अपने साथ ले गई इसके बाद याचिकाकर्ता ने पंच पटेलान के जरिये उसके गाँव जाकर समझाईस कर अयाचि को लाने का प्रयास किया लेकिन अयाचि ने कतई मना कर दिया जिसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिये एक विधिक सूचना पत्र दिनांक 20–11–2024 का जरिये रजिस्टर्ड डाक अयाचि को याचिकाकर्ता के पास आकर वैवाहिक सबंधो की स्थापना करने के लिये इस आशय का भेजा गया जिसके बाद बमुश्किल दिनांक 18–03–2025 को अयाचि के परिवारजनो के बुलाने पर याचिकाकर्ता व उसके परिवार वाले अपने गाँव के पंच पटेलो को साथ लेकर गॉव लांकी गये व अयाचि को सभी प्रकार से सन्तुष्टि देकर व समझा बुझाकर अपने साथ वापिस अपने गाँव उपरला कोली मौहल्ला बहरावण्डा मे आया जहा पर अयाची करीब 1 महिने तक ठीक ठाक रही लेकिन उसके बाद फिर उसका व्यवहार/बर्ता व पूर्वत हो गया वह पूर्व की भाती लडाई झगडा करने लगी व गंदी फोस लिया निकाल कर याचिकाकर्ता व उसके परिवार वालो का मान सम्मान भंग करने लगी वह यहा तक कि याचिकाकर्ता को अपने साथ साहचर्य व संभोग करने से इंकार करने लगी। याचिकाकर्ता को अयाचि का उक्त व्यवहार पहले के बजाय अब कुछ अलग प्रकार का लगा अयाचि कुछ बदली बदली सी व उखडी सी रहने लगी याचिकाकर्ता को शुरु मे लगा कि शायद अयाचि का मन नहीं लग रहा है इस वजह से उसने उससे इसका कारण पूछा तो अयाचि ने याचिकाकर्ता से कहा कि मेरा मन तुम्हारे साथ नही लगता है मेरे गाँव के एक लडके से मैं बहुत प्रेम कर उसे बहुत चाहती हूँ लेकिन मेरे परिवार वालो ने मेरी बात नही मानी व तुमसे मेरी शादी करवा दी तुम मुझे छोड दो जिससे मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकू। यह सुनकर याचिकाकर्ता को झटका सा लगा व उसने इसके बारे मे अयाचि के परिवार वालो को बताया तो अयाचि के परिवार वाले इस बारे मे अयाचि का साथ देने लगे अयाचि अब पूर्ण रुप से याचिकाकर्ता का परित्याग कर व साहर्चय सबंधो व संभोग से दरकिनार कर दिया व याचिकाकर्ता से अलग रहने लगी व वैवाहिक सबंधो का निर्वहन करने से इंकार कर दिया व याचिकाकर्ता को उसके

पत्नी सुख से वंचित कर रखा है साथ ही विवाह से अब तक निरन्तर रुप से याचिकाकर्ता को मानसिक रुप से शारिरिक रुप से आर्थिक रुप से प्रताडित कर जीना दुर्भर कर दिया है अयाचि का उक्त व्यवहार अभित्यंजन व क्रूरता की श्रेणी में आता है। दिनांक 07–05–2025 को अयाचि जब याचिकाकर्ता व याचिकाकर्ता के पिता घर पर नही थे तब याचिकाकर्ता की मां के साथ लडाई झगडा कर याचिकाकर्ता के घर से से आलमारी मे से याचिकाकर्ता का पैनकार्ड, ड्राईवर लाइसेन्स, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, बैंक पासबुक, कक्षा 10–12 की मार्कसीट, आई टी आई की डिकी व करीब 5000 / रु व मंहगे महंगे वस्त्र साडिया व सोने का टीका चांदी का कमरबंध इत्यादि अपने साथ ले गई व याचिकाकर्ता की माँ को यह कहते हुये चली गई कि मैं तुम्हारे बेटे व तुम लोगो से अपने हर प्रकार के रिश्तो को तोडकर जा रही हूँ अगर तुम दुबारा मेरे को लेने आये या मुझे मनाने का प्रयास किया या मुझे दबाव में लेने के लिये पंच पटेल भेजो तो मैं आत्महत्या कर लूंगी व तुम्हे व तुम्हारे परिवारवालो को इसमे फसा जाउंगी। याचिकाकर्ता व अयाचि के मध्य वैवाहिक सबंध इस विशम परिस्थितियो मे पहुंच चुके है अब दोनो का एक साथ एक छत के नीचे रहकर दाम्पत्य सबंध बनाये रखना किसी भी प्रकार से संभव नही रह गया है साथ ही अयाचि ने याचिकाकर्ता के साथ साहर्चय व सबंध बनाने से इंकार कर व पत्नी सुख से वंचित कर याचिकाकर्ता को परित्याग व क्रूरता कारित की है जिसके बाद उक्त विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13 (क) हिन्दू विवाह अधिनियम में न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिम आया है। उक्त विवाह से याचिकाकर्ता व अयाचि के साहर्चय से उनके मध्य कोई सन्तान नही है। याचिकाकर्ता व अयाचि ने अंतिम बार न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में बतौर पति पत्नी निवास किया है साथ ही दोनो यहा के निवासी होने से न्यायालय हाजा को उक्त याचिका को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। याचिकाकर्ता की ओर से उक्त विवाह विच्छेद याचिका के अलावा अन्य कोई विवाह विच्छेद याचिका इस न्यायालय व अन्य किसी सक्षम न्यायालय में ना ही पेश की है ना ही विचाराधीन है। पक्षकारान के मध्य विवाह विच्छेद की याचिका को लेकर किसी प्रकार की कोई दुरभी संधि नही है। अतः याची की ओर से प्रस्तुत याचिका स्वीकार फरमायी जाकर याचि व अयाची के मध्य हुये विवाह दिनांक 15.03.2021 को विच्छेदित कर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान किए

जाने का निवेदन किया गया है, इत्यादि। याची ने याचिका के संबंध में अपना शपथपत्र भी पेश किया है।

3– अप्रार्थीया/अयाची की ओर से दिनांकः 06.01.2026 को कोई उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

4– प्रार्थी/याची की ओर से याचिका के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में ए.ड. 1 याची सीताराम महावर, ए.ड. 2 प्रेमदेवी व ए.ड. 3 रामजीलाल का शपथपत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में विवाह कार्ड प्रदर्श 1, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, विधिक नोटिस दिनांकः 20.11.2024 मय रजिस्टर्ड डाक रसीद प्रदर्श 3 व ट्रेक कन्साइन्मेंट रिपोर्ट प्रदर्श 4 को प्रदर्शित करवाया गया है तथा साक्ष्य प्रार्थी समाप्त की गई।

5– याचिका के संबंध में प्रार्थी/याची के विद्वान न्यायमित्र को सुना गया एवं पत्रावली तथा संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6– प्रार्थी/याची के विद्वान न्यायमित्र का अपनी मौखिक बहस में याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कहना है कि अयाची ने याची के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। दोनों पक्षकार अलग अलग रह रहे हैं और जब से ही दोनों के बीच कोई दाम्पत्य जीवन के संबंध नहीं है। इसलिए उनका विवाह मृत हो चुका है। याची ने अपनी साक्ष्य से सम्पूर्ण याचिका को साबित किया है। अतः याचिका स्वीकार फरमायी जाकर विवाह विच्छेद डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया गया है।

7– उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू है कि आया याचिका में वर्णित तथ्यों के आधारों पर याची, अयाची के साथ सम्पन्न हुए विवाह दिनांकः 15.03.2021 के संबंध में विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है?**

8– प्रार्थीया/याची के विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनने करने एवं पत्रावली तथा संबंधित विधि का अवलोकन करने के पश्चात् याची व अयाची के विवाह के संबंध में विवाह कार्ड प्रदर्श 1 एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 को पेश कर न्यायालय में प्रदर्शित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में याची की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से याची व अयाची का विवाह दिनांकः 15.03.2021 को सम्पन्न होना प्रकट होता है, जिसका कोई खण्डन भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। याची ने ए.ड. 1 के रूप में परीक्षित होकर याचिका में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कहा है कि याची व अयाची का विवाह दिनांकः 15.03.2021 को बिना किसी दान दहेज से सादगीपूर्वक याचिका के पैतृक निवास पर हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात अयाची का याची के साथ व्यवहार ठीक नहीं रहा और अयाची ने याची के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। अयाची दिनांकः 04.09.2024 को याची को बिना बताये अपने भाई के साथ चली गई। इसके पश्चात याची द्वारा अयाची को विधिक नोटिस देने पर दिनांकः 18.03.2025 को याची के घर आ गई और पुनः एक माह बाद अयाची याची के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगी और याची के साथ साहचर्य व सम्भोग करने से इंकार कर दिया और दिनांकः 07.05.2025 को अपने पीयर चली गई और अयाची ने याची के साथ रहने से इंकार कर दिया। इस प्रकार याची ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने के कारण अयाची से विवाह विच्छेद करवाना का कथन किया है। अयाची की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इसके अलावा याची ए.ड. 1 की साक्ष्य का गवाह ए.ड. 2 प्रेमदेवी व ए.ड. 3 रामजीलाल ने भी अपनी साक्ष्य से समर्थन किया है और याची की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य का कोई खण्डन अयाची की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी/याची की ओर से प्रस्तुत याचिका एवं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन पत्रावली पर नहीं है।

9– अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/याची सीताराम महावर की ओर से अप्रार्थीया/अयाची गोमा बाई के विरूद्ध प्रस्तुत की गई याचिका

अन्तर्गत धारा 13(क) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 बाबत विवाह विच्छेद को एकपक्षीय रूप से स्वीकार की जाकर डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

10– परिणामस्वरूप प्रार्थी/याची सीताराम महावर आयु 26 वर्ष पुत्र रामजीलाल महावर निवासी उपरला कोली मोहल्ला बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा राजस्थान की ओर से अप्रार्थीया/अयाची गोमा बाई आयु 25 वर्ष पुत्री किशनलाल पत्नी सीताराम महावर निवासी ग्राम लांकी पोस्ट देवती पंचायत समिति नाथलवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान के विरूद्ध दिनांकः 11.06.2025 को प्रस्तुत की गई याचिका अन्तर्गत धारा 13(क) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 को एकपक्षीय रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थी/याची सीताराम महावर एवं अप्रार्थीया/अयाची गोमा बाई के मध्य दिनांकः 15.03.2021 को सम्पन्न हुए विवाह को आज आदेश की दिनांकः 23.03.2026 से विच्छेदित घोषित किया जाता है तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या 08104005020045900023/2021, दिनांकः 15.06.2021 को निरस्त किया जाता है।

11– पर्चा डिक्री उक्त आदेशानुसार तैयार किया जावे।

(अनामिका सारण)
न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सिकराय, जिला–दौसा (राज.)

12– निर्णय व आदेश आज दिनांकः 23.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनामिका सारण)
न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सिकराय, जिला–दौसा (राज.)